दिनांक 31.7.24

31.07.2024:—पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी व वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाही जा रही है प्रकरण काफी पुराना 155/2009 का है। वादी व वादी अधिवक्ता को बार—बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्तिथ नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.08.06 10:50:29 IST
Reason: SelfAttested